न्यायालय श्रीमान् सम आदरणीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर कैम्प, उज्जैन

प्रकरण कमॉक– /2015–16 AJ-3298-PBR-16

सत्यनारायण पिता गोविन्दराम ब्राह्मण,
निवासी नावली तहसील भानपुरा, जिला
मंदसौर. .... अपीलांट

विरूद्ध

म.प्र. शासन, तर्फे पटवारी हलका नंबर 11
नावली, तहसील भानपुरा जिला मंदसौर
.... रेस्पाडेंट

न्यायालय श्रीमान् आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण कमॉक 31/2014–15 द्वितिय अपील में पारित आदेश दिनॉक 25.7.2016 से असंतुष्ट एवं दुःखीत होकर उक्त निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता के अन्तर्गत अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3298–पीबीआर/2016 **जिला मंदसौर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06.12.16	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । आयुक्त के आदेश दिनांक 25–7–16 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आयुक्त के आदेश से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा शासकीय भूमि पर पत्थर की दीवार बनाकर पानी निकासी का रास्ता बन्द किया गया है इस संबंध में पटवारी द्वारा स्थल निरीक्षक कर ग्रामवासियों की उपस्थिति में पंचनामा तैयार किया गया है। अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश प्रथमदृष्टया वैधानिक एवं उचित आदेश है जिसकी पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	